राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 112/2020

1. विजय सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
2. अजय कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह
3. अमला देवी पत्नी महेन्द्र सिंह

जाति जाट निवासी ढाणी ढीमा तन हरड़िया तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.)

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

.........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 09–03–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम ढाणी ढीमा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 39, 11 व ग्राम चुन्दाड़ा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 133 तथा ग्राम मन्डाना स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 44 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम विजय सिंह पुत्र महेन्द्र के स्थान पर विजय सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम अजय सिंह पुत्र महेन्द्र के स्थान पर अजय कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह तथा प्रार्थिया संख्या 3 का नाम अमली देवी पत्नी महेन्द्र के स्थान पर अमला देवी पत्नी महेन्द्र सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार खेतड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 39 11 ग्राम ढाणी ढीमा, नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 133 ग्राम चुन्दाड़ा तथा नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 44 ग्राम मन्डाना पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम ढाणी ढीमा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 39, 11 व ग्राम चुन्दाड़ा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 133 तथा ग्राम मन्डाना स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 44 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम विजय सिंह पुत्र महेन्द्र के स्थान पर विजय सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम अजय सिंह पुत्र महेन्द्र के स्थान पर अजय कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह तथा प्रार्थिया संख्या 3 का नाम अमली [illegible] महेन्द्र के स्थान पर अमला देवी पत्नी महेन्द्र सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त [illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी * खेतड़ी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ढाणी ढीमा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 39, 11 व ग्राम चुन्दाड़ा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 133 तथा ग्राम मन्डाना स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 44 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम विजय सिंह पुत्र महेन्द्र के स्थान पर विजय सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम अजय सिंह पुत्र महेन्द्र के स्थान पर अजय कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह तथा प्रार्थिया संख्या 3 का नाम अमली देवी पत्नी महेन्द्र के स्थान पर अमला देवी पत्नी महेन्द्र सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested